पंचम अध्याय

समाज कल्याण विभाग

==========

प्राचीन समय से मनुष्य बहुत सारी समस्याओं से जूझता आया है । अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना एवं कौशलपूर्ण बुद्धि के द्वारा उसने सभ्यता एवं संस्कृति को नया स्वरूप प्रदान किया है। इस पृथ्वी पर दानव और मानव तथा अज्ञानी और ज्ञानी साथ-साथ चलते आये हैं । विज्ञान तथा तकनीकी विकास और आधुनिक भौतिक जीवन शैली से पूर्व मानव समुदाय का अधिकांश समय बाढ़, अकाल, भूकंप, युद्ध, तूफान तथा महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निबटने में ही लग जाता है । डार्विन के सिद्धान्त के विपरीत बेसहारा तथा अशक्त मनुष्यों को भी जीवन जीने का पर्याप्त अवसर और सौभाग्य मिलता रहा है। परिवार, समुदाय तथा राष्ट्र के प्रति अपनत्व और धार्मिक विश्वासों के कारण समाज कल्याण के कार्यों में सहयोग देना पुनीत कर्त्तव्य समझा जाता था। कालान्तर में साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी प्रवृत्तियों ने मानवता की दिशा और दशा दोनों को ही प्रभावित किया । आधुनिक विश्व के सभी देशों में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाएं प्रवर्तन में हैं । लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था - "कल्याणकारी राज्य वही है जो हर आंख से आंसू

पोंछने का प्रयत्न करे ।" इसी प्रकृति के प्रयत्न में सामाजिक प्रशासन का विकास हुआ है ।

सामाजिक प्रशासन की मौलिक प्रकृति लोकहितकारी ही है । लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के दायित्व बहुत गंभीर तथा व्यापक होते हैं क्योंकि ऐसा राज्य उन पिछड़े, दीन-हीन, पतित, अक्षम, नि:शक्त तथा प्रताड़ित किए गए व्यक्तियों का विकास, पुर्नवास और सुरक्षा निश्चित करता है जो समाज की दृष्टि में किंचित् निम्नस्तरीय माने जाते हैं । महिलाएं, बच्चे, नि:शक्त, नशेड़ी, वृद्ध, असहाय, आदिवासी तथा पिछड़ी जातियों के नागरिकों को सम्मानित जीवन प्रदान करना सरकार का मुख्य दायित्व है । भारत के संविधान वर्णित नीति-निदेशक तत्त्व राज्य से वह अपेक्षा करते हैं कि वह श्रमिकों, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, असहायों तथा अन्य सभी निर्योग्यताग्रस्त लोगों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करें। इस क्रम में पण्डित जवाहरलाल नेहरु का मानना था - "हमारा अन्तिम लक्ष्य सबके लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय एवं अवसर सहित वर्गहीन समाज ही हो सकता है - एक ऐसा समाज जो मानव जाति को उच्चतर भौतिक एवं सांस्कृतिक स्तरों की ओर उठाने, आध्यात्मिक मूल्यों, सहयोग, निस्वार्थ सेवा भावना को परिष्कृत करने, स्नेह, सद्भाव एवं न्याय की इच्छा और अन्तत: एक विश्व व्यवस्था को जन्म देने के लिए नियोजित आधार पर संगठित हो ।" विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में राज्य के कल्याणकारी दायित्व अधिक हैं क्योंकि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए विकासशील देशों के समाज

न्यूनाधिक मात्रा में परम्पराप्रिय, अतीत से मोह रखने वाले, अकर्मण्य, रूढ़िवादी, निरक्षर, निर्धन, निम्न स्वास्थ्य तथा ढ़ोंग से परिपूर्ण व्यक्तियों के पर्याय हैं, जहां हर कार्य के लिए सरकार की ओर देखना एक प्रवृत्ति बन चुकी है ।[1] ऐसा नहीं है कि विकसित देशों की सरकारों के लिए समाज कल्याण के दायित्व हैं ही नहीं । संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान तथा ब्रिटेन में श्रमिकों, वृद्धों, नशेड़ियों तथा पूर्व सैनिकों इत्यादि के लिए विशेष नीतियां तथा कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं । Veteran's and Social Security के नाम पर बनने वाले इन देशों के समाज कल्याण विभागों के पास तुलनात्मक रूप से छोटा कार्यक्षेत्र होता है ।

अब विश्व स्तर पर एक ऐसी विचारधारा पल्लवित हो रही है जो मानव कल्याण, नैतिकता तथा मानवीय गरिमा के विकास के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त विद्वानों के समूह द्वारा प्रतिपादिन इन छः मूल्यों में - सभी जीवों का सम्मान, हिंसा का त्याग, अन्य लोगों के साथ सहभागिता, समझने के लिए सुनें, पृथ्वी का संरक्षण तथा एकजुटता की पुनः खोज सम्मिलित है । यही वह नैतिक मूल्य या आदर्श हैं।

5.1 सामाजिक कल्याण प्रशासन

वर्तमान लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त प्रशासनिक संरचनाएं प्राथमिक आवश्यकता है ।

---

1. डेविसन, डी० वी०, टीचिंग ऑफ सोसल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोसिओलीजि, वोल्यूम XII, 1968, पृ० 3

लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में सामाजिक प्रशासन दिनों दिन महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है । इसके महत्त्व के संवर्द्धन के मूल में निम्नलिखित कारणों को रेखांकित किया जाता है-

5.2 समाज कल्याण विभाग का विकास

सामाजिक परिवर्तन कई बार स्वत: हो जाते हैं तथा कई बार नियोजित तरीके से भी किये जाते हैं । हमारा संविधान तथा राज्य के द्वारा किये जा रहे प्रयास सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के परिचायक हैं । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों का विकास, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा सती-प्रथा से सम्बन्धित सामाजिक कानून इत्यादि सामाजिक परिवर्तन के प्रयास हैं। महिलाओं की शिक्षा, नि:शक्तजनों का कल्याण तथा असहायजनों को आश्रय प्रदान करके भी राज्य अपने दायित्व निभाता है । आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से भी समाज प्रभावित होता है । ऐसे में समाज का परिवर्तन वांछित दिशा में हो, ऐसा प्रयास भी सरकारें करती हैं । नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण, अनैतिक देह व्यापार पर प्रतिबंध, दहेज प्रथा पर रोक तथा भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना ऐसे ही प्रयास हैं जो बदली हुई परिस्थितियों में सरकार को करने पड़ते हैं । दिसम्बर, 1996 में देश में बाल श्रम पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था जिसे सन् 2006 में पुन:

दोहराया गया ।[2] समयानुकूल ऐसे निर्णय ही भारतीय सामाजिक परिवर्तन को एक सार्थक दिशा प्रदान कर सकते हैं । सामाजिक प्रशासन से सम्बद्ध प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक संस्थाएं सामाजिक कुरीतियों तथा विकृतियों के उन्मूलन और समाज के सकारात्मक उत्थान की दिशा में सक्रिय रहती हैं ।

राष्ट्र विकास

किसी भी देश का विकास वहां की भौगोलिक दशा, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कुशलता तथा मानव संसाधन की दशा पर निर्भर करता है। भारत में मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है किन्तु यह मानव श्रमशक्ति राष्ट्रीय में योगदान देने हेतु पूर्ण शिक्षित, स्वस्थ, योग्य तथा प्रतिबद्ध भी है, ऐसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता है । महिला, बच्चे, मजदूर, वृद्ध, अपराधी, नि:शक्त तथा अन्य कुसमंजित व्यक्ति इतने योग्य हों कि वे राष्ट्रीय विकास में अपना सार्थक योगदान दे सकें । इसी तरह बाल श्रमिकों की समस्या है जो राष्ट्रीय मानव संसाधन का अमानवीय दुरुपयोग है । सामाजिक प्रशासन का यह उद्देश्य रहता है कि वह मानव संसाधन को इस योग्य बनाए कि वह राष्टीय विकास में अपना योगदान दे सकें । इसी तरह विकास में बाधक सामाजिक कुरीतियों यथा - बाल विवाह, स्त्रियों की निम्न

---

2. जगनाधम, वी०, सोसल वल्फेयर आर्गनाइजेशन, आई० आई० पी० ए०, नई दिल्ली, 1967, पृ० XXI

दशा, मद्यपान तथा वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण करना भी सामाजिक प्रशासन का दायित्व है ।

विकेन्द्रीकरण

विज्ञान, प्रोद्योगिकी तथा समाज विज्ञानों में हुई प्रगति के पश्चात् प्रशासन में विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा है । अब अधिकांश कार्यकलापों में स्थूल के बनाए सूक्ष्मता तथा सामान्य के बजाय विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है । इसी क्रम में सामाजिक विकास से सम्बन्धित अनेक विभाग या मंत्रालय यथा – स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकासविभाग, श्रम मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय इत्यादि स्थापित किये गये हैं। ये भी विभाग सामाजिक प्रशासन से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित तो करते हैं, किन्तु इनका एकमात्र कार्य सामाजिक कल्याण ही नहीं है । सामाजिक कल्याण कार्यों का विशेषीकृत क्षेत्र ही अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राज्य समाज कल्याण विभागों द्वारा संभाला जाता है ।[3] सामाजिक नीतियों तथा सामाजिक नियोजन को अभिकल्पित करना, सामाजिक कल्याण कार्यों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना तथा समाज कार्य के क्षेत्र में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना अब सामाजिक प्रशासन का विशेषीकृत क्षेत्र बन चुका है । लोक प्रशासन में राजकीय दायित्वों

---

3. वही, पृ॰ xi

को शीघ्र तथा सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण करना भी आवश्यक रहता है ।

सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन

समाज कार्य अधिकांशत: स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से होते हुए आए हैं तथा वर्तमान में भी हो रहे हैं । भारत में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लगभग 3-4 लाखा स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत हैं । इन संगठनों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा क्षेत्रीय परामर्श देने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल तथा अन्य राजकीय अभिकरण सामाजिक प्रशासन के अंगों के रूप में कार्यरत हैं । यद्यपि स्वैच्छिक संगठन अपने कार्यकरण में प्राय: स्वायत्तता प्राप्त होते हैं फिर भी इन संगठनों में अनुशासन के अधिसंख्य कार्य, कार्यक्रम तथा दायित्व इन्हीं संगठनों के माध्यम से निष्पादित हो रहे हैं, अत: ये संगठन स्वयं सामाजिक प्रशासन का अभिन्न हिस्सा हैं फिर भी इनकी स्वैच्छिक निर्माण प्रक्रिया इन्हें सरकारी संगठनों से पृथक् करती है ।

सामाजिक नीतियों की प्राथमिकता

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में लोक नीति (Public Policy) का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है जो कि सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित-निर्देशित करती है । एल.डी. व्हाईट नीति क्रियान्वयन को ही लोक प्रशासन का मुख्य कार्य मानते हैं । सामाजिक नीति वह सरकारी (लोक) नीति है जो समाज के विशिष्ट समस्याग्रस्त व्यक्तियों के उत्थान हेतु निरूपित एवं क्रियान्वित की

जाती है । आधुनिक विशेषीकृत युग में नीति का निर्माण तथा क्रियान्वयन एक विशेषज्ञ व्यवस्था में ही अधिक प्रभावी माना जाता है । सामाजिक प्रशासन के माध्यम से समाज कल्याण क्षेत्र की व्यावहारिक नीतियां बन सकती हैं तथा उनका सफल क्रियान्वयन संभव हो पाता है । इसी प्रकार भारत में बनने वाली पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं को क्षेत्रीय (Sectoral) आधार पर विभाजित किया जाता है जिसमें 'सामाजिक कल्याण' भी योजनावार क्षेत्र घोषित है । सामाजिक नियोजन का समग्र आर्थिक नियोजन के साथ तारतम्य स्थापित करने तथा समाज कल्याण क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण एवं सफल क्रियान्वयन एक पृथक् सामाजिक प्रशासन नामक संरचना द्वारा अधिक व्यावहारिक माना गया है ।

सामाजिक विधान तथा समाज सुधार

राज्य नामक संस्था का निर्माण, उदय तथा अस्तित्व इसकी उस उपादेयता से सम्बन्धित है जो मानव व्यवहार को निर्देशित करती है तथा उसे एकरूपता प्रदान करती है । आधुनिक लोक प्रशासन तंत्र वैध तार्किक सत्ता पर आधारित है जो समाज के कल्याण, विकास, सुधार तथा सुरक्षा के लिए 'राज्य' को शक्ति देना अनिवार्य मानता है । अब राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव समाज के कल्याण में रत आवश्यक संस्था के रूप में देखा जाता है । महान् चिन्तक अरस्तू का कथन है - "राज्य, जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना

हुआ है ।"[4] इसलिए समाज में फैली कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का सफाया करने में सामजिक कानूनों की महती भूमिका स्वीकारी जाती है । सामाजिक कानूनों के निर्माण तथा उनकी सफल क्रियान्विति, एक सुदृढ़ सामाजिक प्रशासन तंत्र के द्वारा ही संभव है । सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार के लिए अपेक्षित जनमत (Public Opinion), जनचेतना तथा आधार तैयार करने, अन्य सम्बद्ध विभागों से समन्वय करने तथा सामाजिक कल्याण क्षेत्र में **विशेष संवर्ग** को विकसित करने में यह प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है ।

मानवता की रक्षा

सभ्य मानव समाज का मूल लक्षण व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गौरव तथा अस्मिता की रक्षा के प्रयासों से सम्बन्धित है । विश्व भर में मानवाधिकारों तथा मानव विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक तथ्य स्पष्ट रूप से उभरा है कि अब व्यक्तियों के बीच व्याप्त कृत्रिम दूरियां तथा भेदों की दीवारें समाप्त होना लाजिमी हैं । सामाजिक प्रशासन का कार्यक्षेत्र मूलत: ऐसे व्यक्तियों से सम्बन्धित है जो किसी-न-किसी दृष्टि या पक्ष से समाज की नजरों में दीन-हीन या निम्न स्तरीय हैं । ऐसे व्यक्तियों की समाज की मूलधारा में गरिमापूर्ण प्रविष्टि ही सामाजिक प्रशासन के महत्त्व को रेखांकित कर सकती है । इसीलिए कहा जाता है कि किसी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता उसके कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों

---

4. कटारिया, सुरेन्द्र, सामाजिक प्रशासन, आर० वी० एस० ए० पब्लिशर्स, जयपुर, पृ० 29-30

में नहीं बल्कि सबसे पिछड़े व्यक्ति (Down trodden) के उत्थान के लिए किए गए सार्थक प्रयासों पर ही आंकी जा सकती है । विकासशील देशों में यह चुनौती तुलनात्मक रूप से अधिक सशक्त रूप में विद्यमान है क्योंकि यहां सामाजिक समस्याएं तथा आडम्बर ही अधिक मौजूद हैं ।

संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों, मौलिक अधिकारों तथा विशेष उपबन्धों के माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति तथा समानता एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साथ ही विकास के लिए सतत् प्रयास करें । सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, नि:शक्तजनों, नशा कुप्रवृत्तियों तथा कुसमंजन के शिकार एवं अन्य असहाय व्यक्तियों के कल्याण और विकास के लिए देश में शीर्षस्थ प्रशासनिक व्यवस्था **'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय'** (Ministry of Social Justice and Empowerment) के रूप में स्थापित है ।[5] भारत सरकार का यक मंत्रालय सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के निरूपण, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है ।

यह मंत्रालय, भारत सरकार की प्रशासनिक सरंचना में विगम चार दशकों में हुए निरन्तर परिवर्तनों का परिणाम है । स्वतंत्रता के समय समाज कल्याण से सम्बन्धित किसी प्रकार का पृथक् विभाग या मंत्रालय संघीय स्तर पर कार्यरत नहीं था । समाज

---

5. वही, पृ० 31

कल्याण तथा असहाय व्यक्तियों की सहायता से सम्बन्धित कार्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ही निष्पादित होते हैं। यद्यपि सन् 1953 में शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 'केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल (बोर्ड) की स्थापना हो चुकी थी तथापि यह मण्डल केन्द्र सरकार के विभाग या मंत्रालय की प्रकृति का न होकर समाज कल्याण में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों की सहायता तथा परामर्श देने वाले निकाय के रूप में कार्यशील था । समाज कल्याण से सम्बद्ध कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सर्वप्रथम सन् 1964 में संघीय स्तर पर पृथक् विभाग बनाने के प्रयास शुरु हुए । गृह, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, वाणिज्य तथा नगरीय विकास मंत्रालयों के पास से समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्य लेकर दिनांक 14 जून 1964 को **'सामाजिक सुरक्षा विभाग'** की स्थापना की गई । उस समय इस विभाग के कार्यक्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग तथा खादी एवं हस्तकला के कार्य सम्मिलित थे । इसके पश्चात् जनवरी, 1966 में सामाजिक सुरक्षा विभाग को पूर्व में आवण्टित कतिपय कार्य पुनः शिक्षा, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मंत्रालयों को सौंप दिये गये तथा इस विभाग का नाम **'समाज कल्याण विभाग'** कर दिया गया । सन् 1972 में समाज कल्याण विभाग को **'शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय'** के अधीन कर दिया गया । उस समय देश में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास तथा राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ऐसा माने जाने लगा था कि समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के प्रति सरकार पर्याप्त गंभीरता प्रदर्शित

नहीं कर रही है । इसी दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए 24 अगस्त, 1979 को समाज कल्याण विभाग को **'शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय'** से पृथक करते हुए एक स्वतंत्र मंत्रालय **'समाज कल्याण मंत्रालय'** का रूप दे दिया गया । वर्ष 1983-84 में पुन: इस मंत्रालय का नाम परिवर्तित किया गया तथा यह मंत्रालय **'समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय'** कहलाने लगा ।

इसी क्रम में 'समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय' से महिला तथा बाल विकास विभाग' पृथक करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कर दिया गया तथा समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय को 25 सितम्बर, 1985 को **'कल्याण मंत्रालय'** का नाम दिया गया । चूंकि सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित अनेकानेक गतिविधियां सरकार के अन्य मंत्रालयों के कार्यकलापों से सम्बद्ध रहती हैं, अत: समाज कल्याण से सम्बन्धित इस विभाग या मंत्रालय में बार-बार समयानुकूल प्रशासनिक परिवर्तन करने पड़े हैं । **25 मई, 1998 को कल्याण मंत्रालय का नाम 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय'** कर दिया गया ।[6] अक्टूबर, 1999 में इस मंत्रालय से आदिवासी कार्यों को पृथक करके एक नया मंत्रालय 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' गठित कर दिया गया है जबकि 8 सितम्बर, 1998 के आदेशों के माध्यम से 'वन एवं पर्यावरण मंत्रालय' से पशु कल्याण (Animal Welfare) से सम्बन्धित गतिविधियां पृथक करके उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

---

6. वही, पृ॰ 33

मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है । श्रीमती मेनका गांधी द्वारा इस मंत्रालय का मंत्री पद धारण करने के पश्चात् इस मंत्रालय को पशु कल्याण दायित्वों से सम्बद्ध किया गया । ज्ञातव्य है कि श्रीमती मेनका गांधी का पशुओं तथा वन्य जीवों के प्रति लगाव जगजाहिर है । इसी प्रकार पूर्व कल्याण मंत्रालय के साथ कार्यरत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त एवं विकास निगम' को 6 दिसम्बर, 2000 को दो निगमों में विभक्त करके अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कार्य 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' को तथा अनुसूचित जनजाति के कार्य नए बने 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' को सौंप दिये गये हैं । इस मंत्रालय की वर्तमान संरचना तथा कार्यप्रणाली, अनुसूचित जाति विकास, सामजिक सुरक्षा तथा बाल कल्याण, नि:शक्त कल्याण तथा पशु कल्याण से सम्बन्धित है । **26 जनवरी, 2006** से इस मंत्रालय में **अल्पसंख्यक कार्य पृथक् कर एक नए मंत्रालय** को दे दिये गये हैं ।

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल

समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने वाले संगठनों को प्रोत्साहित एवं नियंत्रित करने तथा उन्हें सहायता एवं परामर्श प्रदान करने हेतु अगस्त, 1953 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल (C.S.W.B) की स्थापना की गई । प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि मण्डल को प्रदान की गई थी । वर्तमान

में नई दिल्ली के कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र में मण्डल का कार्यलय स्थित है ।

स्वैच्छिक संगठनों के निर्माण को बढ़ावा देने, उन्हें पर्याप्त तकनीकी तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने और समाज कल्याण में जुटे विभिन्न अभिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करने आदि के प्रारम्भिक लक्ष्यों के साथ केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की स्थापना की गई थी ।[7] विभिनन अध्ययन दलों की अनुशंसाओं तथा कार्यकरण में अनुभूत कमियों एवं परिवर्तित कार्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुसार मण्डल के उद्देश्यों तथा कार्य सन् 1960 तथा 1969 में संशोधित किये गये थे। वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल के गंभीर उद्देश्यों को निम्नलिखित विवरण में स्पष्ट किया जा रहा है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल के उद्देश्य

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की स्थापना के पीछे निम्नांकित उद्देश्य हैं ।

- सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन के माध्यम से सामाजिक कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं का अध्ययन करना ।
- सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरणों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना ।

---

7. राठौड़, ए० एस०, सामाजिक प्रशासन, आर० ए० एस० यू० पब्लिशर्स, जयपुर, पृ० 9

- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर दी जा रही सहायता को समन्वित करना ।
- ऐसे क्षेत्रों में जहां समाज कल्याण संगठन नहीं है और ऐसे क्षेत्र में जहां ऐसे अतिरिक्त संगठनों की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में समाज कल्याण संगठनों को स्थापित करने में सहायता करना ।
- जनसाधारण जैसे - महिलाओं, बच्चों, नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए समाज कल्याण गतिविधयों को बढ़ावा देना तथा बेरोजगार, अर्द्ध बेरोजगारों, वृद्धों, रोगियों, असहायों तथा जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना ।
- आवश्यकता पड़ने पर समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा मार्गदर्शक परियोजनाएं तैयार एवं लागू करना ।
- राष्ट्रीय, प्राकृतिक अथवा अन्य आपदाओं के समय आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन राहत कार्यक्रम आयोजि करना; और
- सुपात्र स्वैच्छिक संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होती हैं, किन्तु भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था का यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण परिलक्षित नहीं होता । महायुद्धों, अंतरराष्ट्रीय

संकटों तथा वैज्ञानिक शोधों के साथ-साथ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में संघीय शासन की सैद्धान्तिक अवधारणा को प्रभावित कर दिया है । भारत में भी राज्यों को उनके विषय क्षेत्र में कार्य करने के पर्याप्त अधिकार हैं किन्तु आर्थिक-सामाजिक विकास से सम्बद्ध अधिकांश मामले (विषय) समवर्ती सूची में समाहित हैं जिन पर केन्द्र सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम अविभावी होते हैं ।[8] शिक्षा, परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह तथा विवाह-विच्छेद, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक और सामाजिक नियोजन तथा सिविल एवं दण्ड प्रक्रिया से सम्बद्ध विषय समवर्ती सूची में हैं। सामाजिक विकास से सम्बद्ध अन्य कार्य जैसे - लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय शासन, औषधालय, न्याय प्रशासन, जेल, कृषि, वन, सिंचाई तथा मादक शराब का उत्पादन यद्यपि राज्य सूची के अन्तर्गत सम्मिलित हैं । किन्तु इन राज्य सूची के विषयों पर भी संघीय सरकार अनेक राष्ट्रीय विकास और कल्याण कार्यक्रम संचालित कर रही है । इस प्रकार एक व्यावहारिक तथा अर्द्ध संघीय शासन व्यवस्था में भारत के राज्यों के पास स्वयं की सोच तथा कार्यक्रम तो हैं किन्तु अधिकांश नीतिगत निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाते हैं । वर्तमान में 101 विषय संघ सूची में, 61 राज्य सूची में तथा 52 समवर्ती सूची में शामिल हैं ।

सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा से सम्बद्ध सामाजिक प्रशासन और उसकी योजनाएं मुख्यत: भारत सरकार द्वारा निर्मित हैं

---

8. वही, पृ॰ 21

जो राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं । भारतीय शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था अनेक स्तरों पर कार्यरत है । शीर्ष पर केन्द्र सरकार, तत्पश्चात् राज्य सरकारें कार्य करती हैं । लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में गांवों में पंचायती राज तथा नगरों में शहरी निकाय (नगरपालिकाएं) स्थानीय स्वशासन का व्यावहारिक स्तर हैं । राज्य प्रशासन का कार्य संचालन राजधानी स्थित सचिवालय तथा उसके अधीन कार्यरत संभागों, जिलों, तहसीलों तथा विकास खण्डों के माध्यम से होता है ।

शासन के तीनों अंगों यथा - विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के समन्वित सहयोग एवं सतत् मार्गदर्शन में ही प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है । राज्य की विधि निर्माण का कार्य विधायिका या व्यवस्थापिका द्वारा निष्पादित होता है तथा कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है । कार्यपालिका द्वारा निष्पादित अविवेकपूर्ण कृत्यों पर न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण होता है । राज्य प्रशासन में नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल होता है जो सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक दृष्टि से राज्य प्रशासन का सर्वेसर्वा होता है। व्यावहारिक रूप में राज्य प्रशासन के नियंत्रण की वास्तविक डोर राजनीतिक एवं वास्तविक कार्यपालिका अर्थात् मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् के हाथों में होती है । इनकी सहायता के लिए प्रशासनिक या स्थायी कार्यपालिका अर्थात् सचिवालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण होते हैं ।

समाज कल्याण विभाग के शीर्ष पर रानीतिक निर्देशन हेतु एक समाज कल्याण (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) मंत्री होता है जिसे कभी इस विभाग का स्वतंत्र प्रभार तो कभी अन्य विभागों का कार्य भी देखना होता है ।[9] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा राज्य मंत्रिपरिषद् के बीच मध्यस्थ की भूमिका मंत्री ही निभाता है । विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के निर्धारण तथा राज्य सामाजिक प्रशासन पर नियंत्रण निर्देशन का कार्य मंत्री ही करता है । शासन सचिवालय में विभाग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख शासन सचिव (समाज कल्याण) होता है । यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धारण किया जाता है । प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समस्त नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण तथा बजट निर्धारण में मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता एवं प्रशासनिक सहायक की भूमिका निभाता है। राज्य के अन्य विभागों तथा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सहित अन्य संलग्न अभिकरणों से समन्वय का कार्य भी प्रमुख शासन सचिव ही करता है । विभाग की प्रशासनिक संरचना पर नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, नेतृत्व तथा कार्मिक प्रबन्ध उत्तरदायित्व प्रमुख शासन सचिव द्वारा ही वहन किये जाते हैं । समाज कल्याण से सम्बन्धित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना तथा उनका मूल्यांकन करना भी इसी अधिकारी का उत्तरदायित्व है ।

---

9. कटारिया, सुरेन्द्र, सामाजिक प्रशासन, वही, पृ॰ 130

निदेशालय स्तर पर यह विभाग, एक आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव द्वारा निर्देशित किया जाता है । यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से ही भरा जाता है । आयुक्त की सहायता हेतु आयुक्तालय (निदेशालय) में तीन अतिरिक्त निदेशक, एक परियोजना निदेशक (विशिष्ट संघटक योजना), पांच उप निदेशक, एक मुख्य लेखा अधिकारी, एक सहायक विधि परामर्शी, एक एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, परियोजना निदेशक (परियोजना सृजन) तथा परियोजना निदेशक (आर.आर.ई.आई.एस.) तथा अन्य अधिकारियों के पद सृजित हैं । जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में 19 जिलों में उप निदेशक, 13 जिलों में सहायक निदेशक तथा शेष 11 जिलों में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यरत हैं ।

कार्य

राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामान्य कार्य इस प्रकार हैं :

- समाज कल्याण से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्विति करना,
- केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा निर्देशित कल्याण कार्यक्रमों की राज्य में क्रियान्विति करना ।
- राज्य सूची के विषय पर सामाजिक कानून तथा परियोजनाओं का निर्माण करना ।

- समाज कल्याण कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना ।
- इन कल्याण परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन का कार्य करना ।
- सामाजिक विकास से सम्बन्धित कार्यों में अन्य विभागों (केन्द्र तथा राज्य स्तरीय) से समन्वय स्थापित करना ।
- समाज कल्याण गतिविधियों के लिए बजट निर्माण तथा वित्त व्यवस्था करना,
- सामाजिक कानूनों की क्रियान्विततिं सुनिश्चित करना,
- पिछड़ी जाति, नि:शक्तजन, भिक्षुक, निराश्रित, नशेड़ी, बाल तथा किशोर अपराधी, महिला एवं बाल विकास गतिविधियों पर नियंत्रण तथा कल्याण परियोजनाएं संचालित करवाना ।
- अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मुद्दों का निस्तारण करना ।
- समाज कल्याण विभाग की अधीनस्थ संस्थाओं, भवनों, कार्यालयों तथा छात्रावासों इत्यादि की स्थापना तथा रख-रखाव करना ।
- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान तथा उनका निरीक्षण एवं नियंत्रण करना और
- समाज कल्याण से सम्बन्धित सांख्यिकी तथा तथ्यों को एकत्रित करना ।

जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग

विभाग की यह जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना विभाग के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी बनायी गई है ।[10] विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा ही किया जाता है । राजस्थान में जिला स्तरीय समाज कल्याण प्रशासनिक संरचना को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

- महिला, बालक, वृद्ध, नि:शक्तजन, नशेड़ी, बाल अपराधी तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित समाज कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- विभाग के अधीन तथा सम्बद्ध सेवा सदनों, छात्रावासों, शिशु गृहों, वृद्ध तथा अशक्त गृहों, सम्प्रेषण तथा बालक गृहों का निरीक्षण तथा रख-रखाव करना ।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जोने वाले किशोरों की पारिवारिक तथा चरित्र रिपोर्ट तैयार करना ।
- नागरिक संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की क्रियान्विति सुनिश्चित करना ।

---

10. वही, पृ० 131

- अनुसूचित जाति और जनजाति के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों तथा शोषण की शिकायत का निवारण तथा जांच करना एवं तत्काल सहायता पहुंचाना ।
- जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा स्वीकृति जारी करना;
- जिला स्तर पर कार्यरत अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं से सहयोग लेना तथा समन्वय स्थापित करना ।
- विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना ।
- समाज कल्याण तथा समाज रक्षा से सम्बन्धित विषयों पर जनशिक्षा तथा चेतना प्रसार के प्रया करना तथा विभाग के कार्यक्रमों के बारे में जनसाधारण को सूचित करना ।
- जिन जिलों में परिवीक्षा तथा कारागृह कल्याण अधिकारी हैं, वहां जेल में बंद कैदियों की समस्या-समाधान तथा कल्याण कार्य करना; और
- स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श तथा पर्यवेक्षण प्रदान करना ।

5.3 हरियाणा में सामाजिक कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम व योजनाएं

विकलांगों के कल्याणार्थ योजनाएं

- प्रदेश में तीन बहुतकनीकी संस्थानों, जिनमें हिसार, खानपुर कलां एवं सिरसा में 25 सीटें प्रति संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त शिक्षा सहित आरक्षित की गई है ।
- औद्योगिक प्लाओं में विकलांगों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण दिया ।
- प्रदेश सरकार द्वारा शत प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को एक सहायक सहित हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है ।
- दिमागी तौर पर शत प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को एक सहायक सहित हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई ।
- पैरालिम्पिक्स खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिता, जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित करवाई गई हों, में भाग लेने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की ।
- विकलांगों के विकास एवं उत्थान के लिए 17 जुलाई, 2009 को जवाहर लाल सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन' योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर 150 करोड़

रूपये की लागत से विशेष स्कूल या संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया । वर्ष 2011-12 में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

- वृद्धावस्था भत्ता, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता आदि का वितरण पंचायती रराज संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है ।
- शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक व शत प्रतिशत से कम विकलांग को बेरोजगारी भत्त 200 रूपये, 250 रूपये व 300 रूपये प्रतिमास की दर से तथा 100 प्रतिशत विकलांग का बेरोजगारी भात्ता अप्रैल 2006 से बढ़ाकर क्रमश: 1000 रूपये, 1500 रूपये तथा 2000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है ।
- नेत्रहीन एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता 600 रूपये से बढ़ाकर वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रूपये प्रतिमास किया गया है ।
- रोहतक में राज्य स्तरीय मंदबुद्धि केन्द्र की स्थापना की ।
- पहली अप्रैल, 2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना आरंभ की गई, जिसके अन्तर्गत 18-60 वर्ष की आयु के हरियाणा निवासी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु/पूर्ण स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में एक लाख रूपये तथा आंशिक स्थायी विकलांगत की स्थिति में 25,000 रूपये एवं 50,000

रूपये की राशि प्रदान की जाती है । मार्च 2011 तक 16094 लाभार्थियों को 148.59 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई।

- राज्य के 70 प्रतिशत व इससे अधिक विकलांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष की गई ।
- विकास पुत्र चौधरी बंसी लाल वृद्ध एवं अपंग गृह, रेवाड़ी में रह रहे प्रत्येक संवासी को 1000 रूपये मासिक राशन के लिए व 50 रूपये मासिक जेब खर्च के लिए दिए जाते हैं ।
- 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के ऐसे मंदबुद्धि एवं बहुविकलांग बच्चे, जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, को मासिक 300 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है ।
- मूक बधिर, अस्थिबाधित, मानसिक विक्षिप्त व बहुविकलांगत वाले लोगों के कल्याणार्थ 'केयर गिवर्स का विस्तार' नामक एक नई योजना वर्ष 2008-09 से शुरू की गई ।
- मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए वर्ष 2008-09 से निरमाया बीमा योजना शुरू की जायेगी ।
- मानसिक रूप से विक्षिप्त मंदबुद्धि बच्चों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2008-09 से 'धरौंदा' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई।
- 24 सितम्बर 2010 से छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली से चौथी कक्षा तक सभी विकलांग विद्यार्थियों को 300 रूपये,

पांचवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को 400 रूपये, नौंवी से बारहवीं कक्षा डे-स्कोलर को 500 रूपये तथा होस्टलर नेत्रहीनों को 900 रूपये मासिक दिए जा रहे हैं ।

- इस योजना के तहत स्नातक नेत्रहीन डे-स्कॉलर विद्यार्थियों को 600 रूपये तथा होस्टलर नेत्रहीनों को 1200 रूपये, व्यावसायिक स्नातक डे-स्कॉलर को 800 रूपये तथा नेत्रहीन होस्टलर को 1500 रूपये एसं स्नातकोत्तर डे-स्कॉलर को 1000 रूपये तथा नेत्रहीन होस्टलर को 1500 रूपये मासिक दिए जा रहे हैं ।
- राजकीय अन्ध विद्यालय, पानीपत के छात्र/छात्राओं के विभिन्न भत्तों की दरों में बढ़ोत्तरी, जैसे रिक्शा किराए की दरें 250 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये, वाचक भत्ते की दरें 50 रूपये से बढ़ाकर 250 रूपये तथा चिकित्सा अधिकारी की मानदेय की दरें 700 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये की गई ।
- विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ की गई, जिसके तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार क्रमशः 10 हजार रूपये, 8 हजार रूपये, 6 हजार रूपये तथा 4 हजार रूपये दिए जाते हैं ।
- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं व 100 प्रतिशत विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के मकान के निर्माण व मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये से बढ़ाकर 26 हुलाई, 2007 से 40,000 रूपये की गई ।

- हरियाणा सिविल सेवाओं (एच॰सी॰एस॰) की भर्ती में विकलांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ।

2. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं

- 'इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' 14 दिसम्बर 2005 से शुरू, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों व सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के समय दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 31,000 रूपये तथा 5100 रूपये से बढ़ाकर 11,000 रूपये की गयी ।
- डॉ॰ अम्बेदकर मेधावी छात्र योजना वर्ष 2005 से आरंभ हुयी तथा वर्ष 2009 में संशोधित की गई, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं के मेधावी छात्रों को कक्षावार 4000 रूपये से लेकर 12,000 रूपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों को मैरिट में 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि 10,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000

रूपये की गई तथा मकान की मरम्मत की लिए भी 10,000 रूपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया ।

- अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत हरियाणा के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लड़के/लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति के लड़की/लड़के से विवाह करने पर दी जाने वाली 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपये किया गया।
- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य करने वाली पंचायतों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 5000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये की गई ।
- अनुसूचित जाति की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक केन्द्रों में सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें 100 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति तथा 150 रूपये प्रतिमास कच्चे माल के लिए दिए जाते हैं । एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ।
- अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में बैकलॉग पूरा करने के लिए हिदायतें जारी की गई ।

- हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए 16 मार्च, 2006 को 85वां संविधान संशोधन लागू किया गया ।
- गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 15,000 रूपये से 2 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
- अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों के लिए 15 दिसम्बर, 2008 से Upgradation of the Typing and Data Entry Skill of the SC/BC unemployed youth through computer नामक नई योजना आरम्भ की गई । इस योजना के तहत इन वर्गों के बेरोजगार युवकों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से अधिक न हो, को एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 250 रूपये मासिक वजीफा दिया जाता है । उक्त प्रशिक्षण अम्बाला, रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, भिवानी एवं हिसार में चलाए जा रहे हैं ।
- अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 मार्च 2009 से Creation of Employment Generation opportunities by setting up employment Oriented Institutes/ Training Programmes नामक नई योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लोगों जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न

हो, को विभिन्न कोर्सों जैसे डाईविंग, पैरामैडिकल, आटोमोबाइल, फूड प्रोसैसिंग, एयर होस्टैस आदि के व्यवसायों हेतु अल्प अवधि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणाथियों को वजीफा भी दिया जाएगा ।

- अनुसूचित जाति के लोगों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से पहली मार्च 2009 से Financial Assistance for training to Scheduled Castes candidates in Un-organized sector through private institutions नामक एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लोगों को प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर फूड प्रोसैसिंग, वैलडिंग, कारपैन्टरी, ड्रैस मेकिंग, हेयर स्टाईलिंग एण्ड ब्यूटिशियन, प्लास्टिक प्रोसैसिंग, आटोमोबाईलन रिपेयर, इलैक्ट्रिशियन, पल्मबिंग आदि ट्रेडस में अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- 18 अगस्त, 2009 से अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना आरंभ, जोकि विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु लागू की गई है, के तहत 5000 रूपये से 14000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ।
- पोस्ट मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को क्रमशः 230 रूपये से 1200 रूपये

तथा 90 रूपये से 425 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति एवं नॉन रिफन्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

- अनसुचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी/ प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 10 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
- अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की संस्थाओं के लिए वर्ष 2010-11 से 'अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित संस्थाओं व समितियों को वित्तीय सहायता योजना' आरंभ ।
- वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का बजट 55.96 करोड़ रूपये था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 342.57 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है तथा मार्च 2005 से मार्च 2011 तक विभाग द्वारा कुल 797.84 करोड़ रूपये खर्च किए गए।
- पिछड़े वर्ग कल्याण निगम के उन ऋण धारकों के ब्याज एवं जुर्माना ब्याज को काफ करने का निर्णय, जो मार्च, 2006 तक ऋण की अदायगी करने से असमर्थ रहे व जो 16 मार्च, 2008 तक एकमुश्त भुगतान कर चुके हैं । इसके अन्तर्गत मार्च 2011 तक 3742 ऋणियों की 2.07 करोड़ रूपये ब्याज तथा दण्ड ब्याज की राशि माफ की गई ।

- पिछड़े वर्ग कल्याण निगम से ऋण प्राप्त करने वाले ऋणियों की ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी की गई है, बशर्ते उन द्वारा ऋण की अदायगी नियमित तौर पर कर दी गई हो ।
- हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम को हिस्सा पूंजी के रूप में वर्ष 2004-05 में दी गई 40 लाख रूपये की राशि को बढ़ा कर वर्ष 2011-12 में 293.60 लाख रूपये किया गया ।
- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु 11 एस॰ सी॰ तथा एस॰ टी॰ विंगस स्थापित किए गए ।
- प्रदेश में अप्रैल 2008 से जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थान में प्रसूति के समय 700 रूपये की नकद सहायता का प्रावधान । अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रूपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं को घर में प्रसूति करवाने पर 500 रूपये की नकद सहायता दी जाती है ˙
- पहली अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निम्रल बस्ती योजना आरंभ की गई, जिसके तहत मार्च 2011 तक अनुसूचित जाति के परिवारों की 50 प्रतिशत या इससे अधिक आबादी वाले 656 गांवों में 179.90 करोड़ रूपये खर्च किए गए । यह योजना उन गांवों में भी लागू होगी जिन गांवों में

अनुसूचित जाति के परिवारों की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है ।

- अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की पुरानी चौपालों की मरम्मत के लिए दस हजार रूपये प्रति चौपाल तथा नई चौपाल के निर्माण के लिए 20 हजार रूपये तक प्रति चौपाल अनुदान दिया जाता है ।
- प्रदेश की अनुसूचित जाति, पिछड़ा श्रेणी वर्ग 'ए' तथा 36 बिरादरी के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले योग्य पात्र परिवारों के जीवन स्तर एवं रहन-सहन में सुधार करने तथा उनको छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2 अगस्त, 2008 से देश की पहली अनूठी एवं ऐतिहासिक 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना' शुरू की गई जिसके तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्ट दिए जा रहे है। । मार्च 2011 तक 3,54,681 प्लाट वितरित किए जा चुके हैं ।
- अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले वार्डों में प्रति वार्ड एक करोड़ रूपये खर्च करने के लिए मार्च 2011 तक 144 वार्डों के लिए 144 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गयी।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मार्च 2005 से मार्च 2011 तक 928 मकानों अथवा फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

- कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पहली जून, 2010 को पुलिस शिकायत सैल गठित किया गया ।
- अनुसूचित जाति के मुकद्दमों की पैरवी के लिए पहली जून, 2010 को एक स्पैशल सैल की स्थापना की गई ।

सशक्त महिलाओं से संबंधित योजनायें

- कन्या-भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2005 से 'लाडली' योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके अन्तर्गत दूसरी लड़की पैदा होने पर लड़की के नाम 5 वर्ष के अवधि तक 5000 रूपये प्रति वर्ष एल० आई० सी० के माध्यम से निवेश किए जा रहे हैं । इस योजना की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई है ।
- आंगनवाड़ी कर्मियों तथा आंगनवाड़ी सहायकों का मासिक मानेदय क्रमशः 500 रूपये व 400 रूपये से बढ़ाकर क्रमशः 1500 रूपये व 750 रूपये किया । अब इसे पुनः बढ़ाकर 2000 रूपये एवं 950 रूपये करने का निर्णय लिया गया है ।
- प्रतिवर्ष घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले तीन जिलों को, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 5 लाख, 3 लाख तथा 2 लाख रूपये दिए जाते हैं । वर्ष 2008-09 में जिला सोनीपत, फतेहाबाद को प्रथम पुरस्कार राशि 4-4 लाख रूपये, जिला महेन्द्रगढ़ को दो लाख रूपये तृतीय पुरस्कार तथा

वर्ष 2009-10 में जिला झज्जर, गुड़गांव एवं फरीदाबाद को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए ।

- वर्ष 2005-06 से सर्वोत्तम माता पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक एवं सर्कल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए तीन-तीन माताओं का चुनाव किया जाता है तथा उन्हें ब्लॉक स्तर पर क्रमशः 1000 रूपये, 750 रूपये और 500 रूपये के पुरस्कार दिये जाते हैं तथा सर्कल स्तर पर 500 रूपये, 300 रूपये और 200 रूपये के पुरस्कार दिये जाते हैं । मार्च 2011 तक 15,564 माताएं लाभान्वित हुई ।
- हरियाणा में कुपोषित बच्चों की संख्या घटाने के लिए जिला स्तर पर प्रतिवर्ष न्यूट्रीशन अवार्ड दिया जाता है, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय अवार्ड क्रमशः 2 लाख रूपये, एक लाख रूपये तथा 50 हजार रूपये हैं । वर्ष 2008-09 के लिए यह पुरस्कार यमुनानगर, पंचकूला व महेन्द्रगढ़ को तथा वर्ष 2009-10 के लिए जीन्द, भिवानी एवं सिरसा को तथा 2010-11 में यह पुरस्कार गुड़गांव, जीन्द एवं कुरुक्षेत्र को दिए गए ।
- वर्ष 2005-06 से 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं हेतु पुरस्कार' योजना शुरू की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड से ग्रामीण स्कूलों की तीन बालिकाओं को, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की

मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करती हैं, क्रमशः 2000 रूपये, 1500 रूपये एवं 1000 रूपये पुरस्कार स्वरूप दिए जा रहे हैं ।

- पहली जनवरी, 2007 से "साक्षर महिला समूह" (एस॰एम॰एस॰) का शुभारंभ किया गया । यह प्रत्येक गांव में शिक्षित महिलाओं और किशोरियों का एक रजिस्टर्ड संगठन है, जो ग्राम स्तर पर एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में राज्य के सभी गांवों में विकास संबंधी कार्यक्रमों में अपना योगदान देगा। मार्च 2011 तक 6279 साक्षर महिला समूह पंजीकृत किए जा चुके हैं । प्रत्येक साक्षर महिला समूह को 5000 रूपये की राशि जागृति जागरण गतिविधियों एवं अन्य व्ययों के लिए देने का प्रावधान है ।
- महिलाओं व बच्चों हेतु पूरक पोषाहार की दरों में वृद्धि की गई है, जोकि माताओं/किशोर बालिकाओं के लिए 5 रूपये व बच्चों के लिए 4 रूपये अति कुपोषित बच्चों के लिए 6 रूपये है ।
- महिला शक्ति सदन नाम से राज्य के प्रत्येक गांव में चरणबद्ध तरीके से महिला चौपाल बनाई जा रही है । मार्च 2011 तक कुन 436 महिला चौपालें बनाई गई ।
- लड़कियों/महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली अप्रैल, 2007 से आसान शिक्षा ऋण की योजना शुरू

की गई है, जिसके अन्तर्गत पांच प्रतिशत ब्याज सबसिडी देने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के तहत मार्च 2011 तक 2850 लड़कियों को बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं ।

- 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से 128 समेकित बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०) प्रोजैक्टों में किशोरी शक्ति योजना लागू की गई ।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए जिला एवं खण्ड स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं । प्रत्येक जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए क्रमशः 1000 रूपये, 750 रूपये तथा 500 रूपये व खण्ड स्तर पर पुरस्कार राशि 500 रूपये, 300 रूपये व 200 रूपये दिए जाते हैं ।
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाली प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया गया ।
- महिलाओं के मान-सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से महिलाओं को तीन राज्य स्तरीय इंदिरार गांधी महिला शक्ति अवार्ड के तहत एक लाख रूपये कल्पना चावला शौर्य अवार्ड तथा बहिन

शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड के लिए 51-51 हजार रूपये देने की घोषणा की गई ।

- प्रदेश के 800 लोगों की आबादी वाले प्रत्येक गांव में आंनगवाड़ी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाने एवं उनके आहार में कैलोरी व प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए 'नई रेस्पीज स्कीम' लागू की गई है, जिसके तहत आलू-पूरी, भरवां परांठा तथा मीठे चावल दिए जा रहे हैं ।
- तेजाब से प्रभावित महिलाओं की सहायता व उनके पुनर्वास के लिए 25,000 रूपये की अन्तरिम वित्तीय सहायता तथा नि:शुल्क ईलाज तथा प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा दी जायेगी ।
- प्रदेश में 'महिला सशक्तिकरण मिशन' की स्थापना का निर्णय लिया गया ।
- किशोरी बालिकाओं को अपने विकास, सशक्तिकरण, जीवन निपुणता, पोषाहार तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 19 नवम्बर 2010 से राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों नामत: अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू की गई है।
- भूमि एवं सम्पत्ति हत्तांतरण किए जाने पर स्टाम्प शुल्क की दरें, जो शहरी क्षेत्रों में 8 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6

प्रतिशत थी, इसमें एक प्रतिशत की कमी करके जून 2008 में 7 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत व महिलाओं के लिए यह दरें जुलाई 2005 में 2 प्रतिशत कम करके 5 प्रतिशत व 3 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं । इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में 2 प्रतिशत की दर से नगरपालिका शुल्क प्रभार्य है ।

- शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के पिछड़े खण्डों में 36 मॉडल स्कूल स्थापित करने की स्वीकृति दी । प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए छात्रावास भी खोला जाएगा ।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु की सभी लड़कियों का स्कूल में दाखिला करवाने वाली पंचायत को 50 हजार रूपये की बजाय एक लाख रूपये का अवार्ड देने का निर्णय लिया गया ।
- महिला कर्मचारियों को उनके शिशुओं की देखभाल के लिए प्रसूति अवकाश के अलावा दो साल के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान किया गया है ।
- महिला सशक्तिकरण के लिए हरियाणा पुलिस में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं ।

वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान – सामाजिक उत्तरदायित्व

- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, 300 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमास किया गया तथा इसमें प्रति वर्ष 50 रूपये की वृद्धि

होगी । प्रत्येक चार वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी । पिछले 10 वर्षों से लगातार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ उठा रे लाभार्थियों का सम्मान भत्ता 300 रूपये से बढ़ाकर 700 रूपये मासिक कर दिया गया । महिलाओं को शाल व पुरुषों को पगड़ी व डोगे के लिए 501 रूपये नकद दिये गए।

- वरिष्ठ नागरिकों के विकास एवं उत्थान के लिए 17 जुलाई, 2009 को 'जवाहर लाल सामाजिक अवसंरचना मिशन योजना' का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर 150 करोड़ रूपये की लागत से विशेष स्कूल या संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिये वर्ष 2011-2012 में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।
- वृद्धावस्था भत्ता का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है ।
- वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में एक शिकायत निवारण सैल का गठन किया गया है ।
- विकास पुत्र चौधरी बंसी लाल वृद्ध एवं अपंग गृह रेवाड़ी में रह रहे प्रत्येक संवासी को 1000 रूपये मासिक राशन के लिए व 50 रूपये मासिक जेब खर्च के लिए दिए जाते हैं ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मार्च 2011 तक 5051 चश्मे मुफ्त दिए गए।

- मार्च 2011 तक 4,77,107 वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं ।
- पहली अक्तूबर 2008 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरम्भ की गई, जिसके तहत एक-एक लाख रूपये के पांच अवार्ड नामत: चौ० रणबीर सिंह सैन्टीनेरियन अवार्ड, मदर टैरेजा अवार्ड, सरदार बल्लभ भाई पटेल करेज एंड ब्रेवरी अवार्ड, महात्मा ज्योतिबा फूले लाईफ टाईम एचीवमैंट अवार्ड, महात्मा गांधी पंचायत अवार्ड दिए जाते हैं ।
- प्रदेश के सोहल जिलों में 26 मार्च, 2010 से पेंशनधारकों को पैंशन का आवंटन बायोमिट्रिक कार्ड द्वारा बैकों के माध्यम से आरंभ किया गया । शेष पांच जिलों में मई 2011 से पेंशन का आवंटन बायोमिट्रिक कार्ड द्वारा आंरम्भ हो जायेगा ।
- प्रदेश के गांवों एवं सभी शहरी सम्पदा क्षेत्रों में सीनियर सिटिजन क्लब स्थापित करने की योजना है । मार्च 2011 तक 316 गांवों एवं 12 शहरी सम्पदा क्षेत्र में यह क्लब स्थापित किए गए ।
- वृद्धों हेतु 'दिनभर' देखभाल केन्द्रों का 90 लाख रूपये प्रत्येक की लागत से हिसार, करनाल, पंचकूला, रोहतक एवं सोनीपत में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा भिवानी, झज्जर व रेवाड़ी में कार्य प्रगति पर है ।

- 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 21 जुलाई, 2009 से मकानों की अलाटमैंट में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जो कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को दो जी रही वित्तीय सहायता 24 अगस्त, 2009 से 600 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमास की गई ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की नई पहल :

- विधवाओं की मासिक पेंशन 300 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये की गई ।
- विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बौना एवं किन्नर भत्ता योजनाओं के सभी लाभपात्रों को सम्मान के रूप में कम्बल के लिए 500 रूपये नकद दिए गए ।
- बेसहारा बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 30 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये प्रतिमास की गई ।
- विकलांग पेंशन योजना के तहत 70 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों की पेंशन 300 रूपये बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमास तथा शत प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों की पेंशन 500 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये प्रतिमास की गई ।
- शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक व शत प्रतिशत से कम विकलांग को बेरोजगारी भत्ता 200

रूपये, 250 रूपये व 300 रूपये प्रतिमास की दर से तथा 100 प्रतिशत विकलांग का बेरोजगारी भत्ता अप्रैल 2006 से बढ़ाकर क्रमशः 1000 रूपये, 1500 रूपये तथा 2000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है ।

- नेत्रहीन एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता 600 रूपये से बढ़ाकर वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रूपये प्रतिमास किया ।
- बौने व्यक्तियों को 500 रूपये मासिक भत्ता देने के लिए पहली जून, 2006 से हरियाणा बौना भत्ता योजना आरंभ हुई । इसमें पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच से कम तथा महिला का कद 3 फुट 3 इंच से कम होना चाहिए ।
- पहली अप्रैल, 2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना आरंभ की गई, जिसके अन्तर्गत 18-60 वर्ष की आयु के हरियाणा निवासी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु/पूर्ण स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में एक लाख रूपये तथा आंशिक स्थाई विकलांगता की स्थिति में 25,000 रूपये एवं 50,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
- प्रदेश सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से हरियाणा राज्य में आए प्रत्येक कश्मीरी परिवार को एक हजार रूपये प्रतिमास की वित्तीय सहायता दी जाती रही है ।

- किन्नरों को 500 रूपये मासिक भत्ता देने के लिए पहली जून, 2006 से हरियाणा में किन्नर भत्ता योजना आरंभ की गई ।
- मानसिक रूप से विक्षिप्त मंद बुद्धि बच्चों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2008-09 से 'घरौंदा' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई।
- प्रदेश में रिटेनरशिप पर नियुक्त 128 केनर को दिसम्बर 2009 से जिला रेडक्रॉस शाखाओं में मास्टर ट्रेनर के पद पर नियमित वेतनमान पर नियुक्ति की गई ।
- विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ की गई, जिसके तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार क्रमशः 10 हजार रूपये, 8 हजार रूपये, 6 हजार रूपये तथा 4 हजार रूपये दिए जाते हैं ।
- वर्ष 2004-05 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का बजट 401.87 करोड़ रूपये था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 1855.37 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है तथा मार्च 2005 से मार्च 2011 तक विभाग द्वारा कुल 6063.15 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं ।

समाज कल्याण विभाग के बारे में जानकारी

तालिका 5.1

समाज कल्याण विभाग के बारे में जानकारी होने सम्बन्धी उत्तरदाताओं के विचार

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हाँ	365	91.2
2	नहीं	35	8.8
	कुल	400	100.0

तालिका 5.1 से यह स्पष्ट होता है कि 91.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को समाज कल्याण विभाग के बारे में जानकारी थी । लेकिन 8.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें समाज कल्याण विभाग के बारे में जानकारी थी । लेकिन 8.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें समाज कल्याण विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अध्ययन से पता चलता है कि अधिकतर उत्तरदाताओं को समाज कल्याण विभाग की जानकारी है।

समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रम/योजनायें

तालिका 5.2

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जानकारी होने सम्बन्धी उत्तरदाताओं के विचार

क्रम सं.	सुविधायें	उत्तर प्रतिशत		प्रतिशत (कुल)
		हाँ	वहीं	
1	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना	361 (90.2)	39 (9.8)	400 (100.0)
2	प्रधानमन्त्री जन-धन योजना	375 (93.8)	25 (6.2)	400 (100.0)
3	प्रधानमन्त्री बीमा सुरक्षा योजना	221 (55.3)	179 (44.7)	400 (100.0)
4	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	177 (44.2)	223 (55.8)	400 (100.0)
5	अटल पेंशन योजना	147 (36.7)	253 (63.3)	400 (100.0)
6	बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ	387 (96.8)	13 (3.2)	400 (100.0)
7	सुकन्या समृद्धि योजना	321 (80.2)	79 (19.8)	400 (100.0)
8	आपकी बेटी-हमारी बेटी	319 (79.7)	81 (20.3)	400 (100.0)

9	हरियाणा कन्या कोष	121 (30.3)	279 (69.7)	400 (100.0)
10	राज्य पोषण मिशन	337 (84.2)	63 (15.8)	400 (100.0)
11	मुस्कान	51 (12.7)	349 (87.3)	400 (100.0)
12	ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता	149 (37.2)	251 (62.7)	400 (100.0)
13	अंत्योदय–अंतिम पंक्ति के अंतिम त्वरित के उत्थान	21 (5.3)	379 (94.7)	400 (100.0)
14	मुख्यमंत्री विवाह शगुन	325 (81.2)	75 (18.8)	400 (100.0)
15	डॉ॰ बी. आर. अम्बेड़कर आवास योजना	13 (3.3)	387 (96.7)	400 (100.0)
16	मुख्यमंत्री सामाजिक अमरसता अन्तर्राष्ट्रीय विवाह शगुन योजना	227 (56.7)	177 (43.3)	400 (100.0)
17	डॉ॰ अम्बेड़कर मेधावी छात्र योजना	29 (7.2)	371 (92.8)	400 (100.0)
18	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	279 (69.8)	121 (30.2)	400 (100.0)

19	अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना	149 (37.3)	251 (62.7)	400 (100.0)
20	कानून सहायता योजना	19 (4.8)	391 (95.2)	400 (100.0)
21	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	5 (1.3)	395 (98.7)	400 (100.0)
22	सिलाई प्रशिक्षण योजना	235 (58.7)	165 (41.3)	400 (100.0)
23	परीक्षाओं हेतु मुफ्त प्रशिक्षण	89 (22.2)	311 (77.8)	400 (100.0)

तालिका 5.2 से स्पष्ट होता है कि 90.2 प्रतिशत लाभार्थियों को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के बारे में जानकारी है 93.8 प्रतिशत, 96.8 प्रतिशत, 80.2 प्रतिशत, 79.7 प्रतिशत, 84.2 प्रतिशत, 81.2 प्रतिशत व 69.8 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, राज्य पोषण मिशन, मुख्यमन्त्री विवाह शगुन व अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी है । वहीं पर 6.2 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत, 19.8 प्रतिशत, 20.3 प्रतिशत, 15.8 प्रतिशत, 18.8 प्रतिशत व 30.2 प्रतिशत लाभार्थियों को जानकारी नहीं थी । 30.2 प्रतिशत लाभार्थियों को जानकारी नहीं थी । 55.3 प्रतिशत, 44.2 प्रतिशत, 37.2 प्रतिशत,

56.7 प्रतिशत व 58.7 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता, मुख्यमन्त्री सामाजिक समरजता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना व सिलाई प्रशिक्षण योजना के बारे में जानकारी है । 63.3 प्रतिशत, 69.7 प्रतिशत, 97.3 प्रतिशत, 94.7 प्रतिशत, 96.7 प्रतिशत, 92.8 प्रतिशत, 62.7 प्रतिशत, 95.2 प्रतिशत 98.7 प्रतिशत व 77.8 प्रतिशत प्रतिशत लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना, हरियाणा कन्या कोष, मुस्कान, अंत्योदय-अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान, डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेड़कर आवाज योजना, डॉ॰ अम्बेड़कर मेधावी छात्र योजना, अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कानून सहायता योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना व परीक्षाओं हेतु मुफ्त प्रशिक्षण की जानकारी नहीं थी । केवल 36.7 प्रतिशत, 30.3 प्रतिशत, 12.7 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत, 7.2 प्रतिशत, 37.3 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत व 2.2 प्रतिशत लाभार्थियों को इन योजनाओं व कार्यकर्त्ता की जानकारी थी। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि अधिकतर लोगों की समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाओं व कार्यकर्त्ता की जानकरी नहीं है।

योजना का लाभ

सरकार समय-समय पर महिलाओं, बच्चों व अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण करती है ताकि ये सभी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

तालिका 5.3

सामाजिक योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाने सम्बन्धी लाभार्थियों के विचार

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हाँ	185	46.3
2	नहीं	215	53.7
	कुल	400	100.0
लाभ उठाते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?			
1	कठिन कागजी कार्यवाही	25	13.5
2	कर्मचारियों का उदासीन व्यवहार	15	8.1
3	रिश्वत	30	16.2
4	जानकारी का अभाव	10	5.4
5	कर्मचारियों का टालमटोल करना	75	40.0
6	पक्षपात	35	17.8
	कुल	185	100.0

तालिका 5.3 से यह स्पष्ट होता है कि 53.7 प्रतिशत लाभार्थियों के समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया । जबकि 46.3 प्रतिशत लाभार्थियों ने योजनाओं व कार्यक्रमों का फायदा उठाया । उनसे पूछा गया कि योजनाओं का

लाभ उठाते समय उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा तो 40.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि अधिकारी व कर्मचारी टाल-मटोल करते हैं । 17.8 प्रतिशत, 16.2 प्रतिशत, 13.5 प्रतिशत, 8.1 प्रतिशत, व 5.4 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने पक्षपात, रिश्वत, कठिन कागजी कार्यवाही कर्मचारियोंका उदासीन व्यवहार व जानकारी का अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा ।

तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों को योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिये पक्षपात, रिश्वत, कठिन कागजी कार्यवाही, कर्मचारियों का उदासीन व्यवहार व योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इसका मतलब सरकारी तन्त्र में बहुत कमियां हैं ।

समस्या सम्बन्धी शिकायत

तालिका 5.4

योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाते समय आई समस्याओं के सम्बन्ध में शिकायत करने सम्बन्धी लाभार्थियों का विवरण

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हाँ	40	21.7
2	नहीं	25	13.5
3	पता नहीं कहां करती हैं ।	120	64.8
	कुल	185	100.0
क्या आपकी शिकायत पर कार्यवाही हुई?			
1	हां	2	5.0
2	नहीं	38	95.0
	कुल	40	100.0

तालिका 5.4 यह दर्शाती है कि 64.8 प्रतिशत लाभार्थियों को यह नहीं पता कि सामाजिक योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाते समय सामने आई समस्याओं की शिकायत कहीं करनी होती है । लेकिन 21.7 प्रतिशत लाभार्थियों को यह जानकारी थी । और उन्होंने शिकायत भी की थी । वहीं पर 13.5 प्रतिशत लाभार्थियों ने योजनाओं का लाभ उठाते समय आई समस्याओं की कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं की । जब उनसे यह पूछा गया कि शिकायत

करने पर कोई कार्यवाही हुई । तो केवल 5.0 प्रतिशत लोगों ने ही बताया कि शिकायत पर कार्यवाही हुई थी । लेकिन 95.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि सामाजिक योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाते समय, आने वाली समस्याओं के बारे में की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लाभार्थियों की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाते समय, आने वाली समस्याओं की शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती । सरकारी अधिकारी व कर्मचारी उदासीन व्यवहार रखते हैं ।

अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार

तालिका 5.5

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यवहार सम्बन्धी लाभार्थियों के विचार

क्रम सं.	लाभार्थियों के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	10	2.7
2	अच्छा	37	10.1
3	ठीक-ठाक	41	11.2
4	उदासीन	70	19.2
5	असहयोगात्मक	207	56.8
	कुल	365	1000

जब लाभार्थियों से समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में पूछा गया (तालिका 5.6) तो 56.

8 प्रतिशत लाभार्थियों ने असहयोगात्मक व्यवहार बताया । 19.2 प्रतिशत, 11.2 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत लाभार्थियों ने अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार उदासीन, ठीक-ठाक व अच्छा बताया । केवल 2.7 प्रतिशत वे ही बहुत अच्छा बताया । तालिका के अध्ययन के उपरान्त पर तथ्य सामने आता है कि 76.0 प्रतिशत लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यवहार से नाखुश थे । उन्होंने बताया कि अधिकारी व कर्मचारी उनके साथ उदासीन व असहयोगात्मक व्यवहार करते हैं ।

योजना के लाभ

तालिका 5.6

क्या आपको योजना कार्यक्रम से कोई लाभ पहुंचा?

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	हाँ	40	21.7
2	नहीं	145	78.3
3	कुल	185	100.0

तालिका 5.5 स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि केवल 21.7 प्रतिशत लाभार्थियों को ही सामाजिक कल्याण विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है जबकि 78.3 प्रतिशत लाभार्थियों को कोई खास लाभ नहीं पहुंचा । लाभार्थियों का कहना है कि जो सहायता उनको दी जाती है वह अपर्याप्त है ।

अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच समन्वय

किसी भी संगठन की कामयाबी के लिये उसमें काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच अच्छा समन्वय बेहद जरूरी होता है । ताकि संगठन अपने उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त कर सकें ।

तालिका 5.7

अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच समन्वय सम्बन्धी लाभार्थियों के जवाब

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	10	2.8
2	अच्छा	43	11.7
3	औसत	99	27.1
4	अभाव	213	58.4
	कुल	365	100.0

तालिका 5.7 का अध्ययन करने से यह साफ पता चलता है कि 58.4 प्रतिशत लाभार्थियों का कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के बीच में समन्वय का अभाव है । 27.1 प्रतिशत व 11.7 प्रतिशत लाभार्थियों ने समन्वय को औसत व अच्छा बताया है । केवल 2.8 प्रतिशत लाभार्थियों ने ही अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच समन्वय को बहुत अच्छा बताया है । निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज कल्याण विभाग के

अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच समन्वय का अभाव है । अगर थोड़ा बहुत है भी तो वह भी औसत दर्जे का है ।

तालिका 5.8

बड़े अधिकारियों का ठीक समय पर सहयोग सम्बन्धि स्टाफ के विचार

क्रम सं.	स्टॉफ के विचार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हाँ	13	52.0
2	नहीं	6	24.0
3	कभी-कभार	6	24.0
	कुल	25	100.0

तालिका 5.8 से स्पष्ट होता है कि 52.0 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार बड़े अधिकारी सही समय पर सहयोग प्रदान करते हैं, जबकि 24.0 प्रतिशत, अधिकारियों के अनुसार बड़े अधिकारी कभी कभार सहयोग करते हैं, 24.0 प्रतिशत ने बड़े अधिकारियों के सहयोग को नकार दिया ।

योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी

सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का जनता को सही फायदा होता है जब उनको ठीक ढ़ंग से जानकारी दी जाये ।

तालिका 5.9

क्या अधिकारी/कर्मचारी योजनाओं की सही जानकारी देते हैं?

क्रम सं.	लाभार्थियों के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	हाँ	113	30.9
2	नहीं	252	69.1
3	कुल	365	100.0

तालिका 5.9 से यह प्रतीत होता है कि 69.1 प्रतिशत लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने योजनाओं व कार्यक्रमों की सही जानकारी नहीं देते । जबकि 30.9 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उनको योजनाओं व कार्यक्रमों की सही जानकारी उपलब्ध करवाई गई । अध्ययन से यह साफ पता चलात है कि लाभार्थियों को योजनाओं व कार्यक्रमों की अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सही जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई जाती ।

जीवन स्तर में सुधार

तालिका 5.10

योजनाओं से सामाजिक व जीवन स्तर में सुधार से सम्बन्धित लाभार्थियों के विचार

क्रम सं.	लाभार्थियों के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	हाँ	113	61.0
2	नहीं	39	21.1
3	थोड़ा बहुत	33	11.9
	कुल	185	100.0

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो भी योजनायें या कार्यक्रम लागू किये जाते हैं उनका मकसद लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार से है ताकि उनका जीवन स्तर सुधार सके । और वे समाज को मुख्यधारा में शामिल हो सके । ज्ब लाभार्थियों से पता सवाल पूछा गया कि (तालिका 5.10) क्या इन योजनाओं व कार्यक्रमों से उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है तो 61.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने इसका समर्थन किया । 21.1 प्रतिशत लाभार्थियों ने मना कर दिया । और 17.9 प्रतिशत लाभार्थियों ने थोड़े बहुत बदलाव की बात कही । तालिका के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सामाजिक योजनाओं व कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में सुधार आता है । लेकिन 21.1 प्रतिशत मना करते है लेकिन 17.9 प्रतिशत थोड़े बहुत सुधार की बात करते हैं । इनको भी गंभीरता से लेना होगा ।

तालिका 5.11

क्या योजना व कार्यक्रम के बारे में बताने के लिये कोई अधिकारी व कर्मचारी आपके घर आया था ?

क्रम सं.	लाभार्थी के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	हाँ	5	1.4
2	नहीं	360	98.6
	कुल	365	100.0

तालिका 5.11 से स्पष्ट होता है कि 98.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिये कोई भी अधिकारी व कर्मचारी उनके घर पर नहीं आया । उन्होंने बताया कि वे लोग केवल आंकड़े एकत्रित करने के लिए आते है । केवल 1.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिये उनके घर पर कोई नहीं आता । निष्कर्ष के रूप में यह पता चलता है कि समाज कल्याण विभाग का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिये उनके घर कोई नहीं आता । अत: यह बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार लोगों तक पूरी तरह जानकारी उपलब्ध करवाने में असमर्थ है।

जानकारी का स्त्रोत

तालिका 5.12

सामाजिक योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के स्त्रोत के सम्बन्ध में लाभार्थियों के विचार

क्रम सं.	लाभार्थियों के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	सरपंच/एम.सी.	3	1.0
2	समाचार पत्र	41	11.2
3	रिश्तेदार से	103	28.2
4	टेलीविजन	113	41.0
5	पूर्व लाभार्थी	105	28.6
	कुल	365	100.0

तालिका 5.12 स्पष्ट करती है कि 41.0 प्रतिशत लाभार्थियों को समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी रेडियो/टेलीविजन से मिली । 28.6 प्रतिशत, 28.2 प्रतिशत, 11.2 प्रतिशत, व 1.0 प्रतिशत, लाभार्थियों की जानकारी पूर्व लाभार्थी से रिश्तेदार से, समाचार पक्ष से और सरपंच/एम.सी. से प्राप्त हुई । अध्ययन से पता चलता है कि समाज कल्याण की योजनाओं व कार्यक्रमों की ज्यादातर जानकारी रेडियो व टेलीविजन से पूर्व लाभार्थी व रिश्तेदार से प्राप्त हुई ।

योजनाओं का जरूरतमंद को लाभ

तालिका 5.13

क्या योजनाओं/कार्यक्रमों का जरूरतमंद को लाभ मिलता है?

क्रम सं.	लाभार्थियों के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	हां	147	40.3
2	नहीं	175	48.0
3	थोड़ा बहुत	43	11.7
	कुल	365	100.0

जब लाभार्थियों से यह पूछा गया कि क्या समाज (तालिका 5. 3) कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलता है तो 48.0 प्रतिशत ने मना कर दिया । 40.3 प्रतिशत लाभार्थियों ने समर्थन किया । केवल 11.7 प्रतिशत लाभार्थियों के अनुसार योजनाओं व कार्यक्रमों का जरूरतमंद

लोगों को बहुत थोड़ा लाभ मिलता है तालिका से स्पष्ट होता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं व कार्यक्रमों का महिलाओं व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बहुत कम लाभ पहुंच रहा है ।

महिलाओं की नियुक्ति

तालिका 5.14

महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों के लिये महिला कर्मचारियों के नियुक्ति सम्बन्धी लाभार्थियों के विचार

क्रम सं.	लाभार्थियों के विचार	लाभार्थी	प्रतिशत
1	हां	77	21.0
2	नहीं	288	79.0
	कुल	365	100.0

तालिका 5.14 यह दर्शाती है कि 79.0 प्रतिशत लाभार्थियों के अनुसार योजनाओं व कार्यक्रमों के लिये महिला कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है । 21.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों की नियुक्ति होती है ।

महिलाओं का ठीक समय पर फायदा

तालिका 5.15

सामाजिक योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सही समय पर मिलने सम्बन्धी उत्तरदाताओं के विचार

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हां	79	43.0
2	नहीं	106	57.0
	कुल	185	100.0
अगर नहीं तो क्यों?			
1	अधिकारियों द्वारा टाल-मटोल	12	11.3
2	पूरी जानकारी न होना	13	12.3
3	अधिकारियों का उदासीन व्यवहार	11	10.3
4	लम्बी कागजी कार्यवाही	67	63.1
5	राजनीतिकरण योजनाओं का	3	3.0
	कुल	106	100.0

तालिका 5.15 से यह जानकारी मिलती है कि 57.0 प्रतिशत लाभार्थियों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सही समय पर नहीं प्राप्त हुआ । जबकि 43.0 प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ सही समय पर मिल गया था । योजनाओं व कार्यक्रमों का सही समय पर लाभ नहीं मिलने के लाभार्थियों ने कई कारण बताये । 63.1 प्रतिशत, 12.3 प्रतिशत, 11.3 प्रतिशत, 10.3

प्रतिशत व 3.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने लम्बी व कठिन कागजी कार्यवाही, पूरी जानकारी न होना, अधिकारियों द्वारा टाल-मटोल करना, अधिकारियों व कर्मचारियों का उदासीन व्यवहार, और राजनीतिक कारण बताया । इस प्रकार अध्ययन के स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों को सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ लम्बी व कठिन कागजी कार्यवाही, अधिकारियों व कर्मचारियों की टाल-मटोल नीति और उदासीन व्यवहार व राजनीतिक कारणों से नहीं मिल पाता ।

तालिका 5.16

समाज कल्याण की योजनाओं व कार्यप्रणाली को सही समय पर लागू करने सम्बन्धि स्टॉफ के विचार

क्रम सं.	**स्टॉफ के विचार**	**उत्तरदाता**	**प्रतिशत**
1	हां	15	60.0
2	नहीं	10	40.0
	कुल	25	100
अगर नहीं तो क्यों?			
1	धन की समय पर आपूर्ति न होना	7	70.0
2	समन्वय का अभाव	2	20.0
3	योजनाओं का न्यायसंगत न होना	1	10.0
	कुल	10	100

तालिका 5.16 से स्पष्ट होता है कि 60.0 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों को सही समय पर लागू कर दिया जाता है जबकि 40.0 प्रतिशत अधिकारियों ने बताया कि योजनाओं व कार्यक्रमों को सही समय पर लागू नहीं किया जाता । जब उनसे पूछा गयाकि समय पर क्यों नहीं लागू करने के क्या कारण हैं तो 20.0 प्रतिशत अधिकारियों ने बताया कि धन को सही समय पर आपूर्ति का होना । 20.0 प्रतिशत व 10.0 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार समन्वय का अभाव व योजनाओं का न्याय संगत न होने की वजह से समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाई होती है।

सामाजिक कल्याण विभाग से संतुष्टि

तालिका 5.17

सामाजिक कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर संतुष्टि सम्बन्धी उत्तरदाताओं के विचार

क्रम सं.	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	हां	57	31.0
2	नहीं	128	69.0
	कुल	185	100.0

तालिका 5.17 से यह स्पष्ट होता है कि 69.0 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक कल्याण विभाग को कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। जबकि 31.0 प्रतिशत लाभार्थी सामाजिक कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है । अत: निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सरकारी तन्त्र में बहुत सारी कमियां है जिसके कारण सामाजिक कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली सही ढंग से काम नहीं कर रही । इसलिए अधिकतर लोग इससे असंतुष्ट है ।

5.4 मूल्यांकन

सामाजिक कल्याण विभाग का मुख्य कार्य उन लोगों का सामाजिक कल्याण करना है । जो समाज की मुख्य धारा से नहीं है। और वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं । समाज कल्याण विभाग का यह भी कार्य है कि वह महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करें। अध्ययन के दौरान कई बातें सामने आई जिनमें से मुख्य है । अधिकारियों व कर्मचारियों का लोगों के प्रति उदासीन व्यवहार, काम करने में टाल-मटोल करना । समन्वय का अभाव, लोगों तक समाज कल्याण विभाग अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है । लोगों को विभाग के प्रति असंतोष की भावना है । इसलिए सरकार

को समाज कल्याण विभाग के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है । इसके लिए अनुसंधान की जरूरत है । ताकि नए तथ्यों से सरकार को अवगत कराया जा सकें ।